आज ही

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक /01/2022

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स,
भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) नियम, 2021

उपरोक्त विषयक प्रकरण में विभाग द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना क्रमांक **एफ ए 3–20/2021/1/पांच (03) दिनांक ...11....01.2022** के **अंग्रेजी एवं हिन्दी** प्रारूप की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त **अधिसूचना** का प्रकाशन **मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) अंक दिनांक .....11....01.2022** में करने का कष्ट करें। उक्त **अधिसूचना** का प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई, जो कि मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

sd/-
(अनुभाग अधिकारी),
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक 11 /01/2022

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय इन्दौर की ओर एकल नस्ती जावक क्रमांक 199 दिनांक 22.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग–एक भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि किसी तकनीकी अधिकारी को नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में भेजकर प्रूफरिडिंग कराने का कष्ट करें।

(अनुभाग अधिकारी)
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच(03) भोपाल, दिनांक 11 /01/2022

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 11-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"नियम 11-क.- **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का इलेक्ट्रानिक रीति में फाइल किया जाना.-**

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यापारी द्वारा, धारा-17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 6 में, इलेक्ट्रानिक रीति में, हार्ड कापी के साथ या उसके बिना यथास्थिति, डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.mp.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। इस नियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र फाइल करने के लिए आवेदन केवल इलेक्ट्रानिक रीति से किया

जाना आज्ञापक होगा। नियम-11, के उपबंध [नियम 11 के उप-नियम (1) के खण्ड (पांच) को छोड़कर] यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे आवेदन को लागू होंगे।"।

(2) नियम 11-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"नियम 11-कक. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन का स्वीकृत समझा जाना.**-

जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन नियम 11-क के अधीन प्रस्तुत किया जाता है और आयुक्त मे या तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया है या धारा 17 की उप-धारा (4-क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन नामंजूर नहीं किया है, वहां रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रदत्त किया गया समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस नियम के अधीन प्रदत्त किया गया समझा जाएगा या नियम 12 के अधीन प्रदत्त किया जाएगा, यथास्थिति, आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके बिना विभाग अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से सिस्टम पर जनरेट किया जाएगा और आवेदक की ओर से डाउनलोड योगय होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
<u>वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004</u>

क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक 11/01/2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ़ ए 3–20/2021/1/पांच (03), दिनांक 11 जनवरी, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Government of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal - 462004

No. F A 3-20/2021/1/ V(03) Bhopal, Dated : 11 /01/2022

// Notification //

In exercise of the powers conferred by section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2002, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. for rule 11-A, the following rule shall be substituted, namely :-

"11-A. **Electronic filing of application for grant of registration certificate.-**

The State Government may, by notification, provide that an application for grant of registration certificate under section 17 shall be furnished by a dealer specified in the said notification electronically in Form-6, with or without digital signature, as the case may be, through the official web portal of the department (www.mptax.mp.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal. It shall be mandatory to file application for certificate of registration electronically only after the notification under this rule is issued. The provisions of rule 11, [except clause (v) of sub-rule (1) of rule 11] shall mutatis mutandis apply to such application.".

2. After rule 11-A, the following rule shall be inserted, namely :-

"11-AA. **Deemed approval of application for certificate of registration**.-

Where an application for grant of registration certificate is furnished under rule 11-A and the Commissioner either has not granted the certificate of registration or has not rejected the application for registration within the time specified in sub-section (4-A) of section 17, the application for registration shall be deemed approved and the certificate of registration shall be deemed granted by the Commissioner. The certificate of registration, deemed granted under this rule or granted under rule 12, as the case may be, shall be system generated through the official web portal of the department with or without digital signature of the Commissioner and shall be downloadable at the applicant's end.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

(Dipali Rastogi)
Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department

HP/E/Menon-2021/Vat Rules